मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2016 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई, 2016 (श्रावण 4, 1938)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री –

(क) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में संशोधन संबंधी वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-18-2016-1-पांच (25), दिनांक 02 अप्रैल, 2016, तथा

(ख) मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) की धारा 13 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-17-2016-1-पांच (22), दिनांक 31 मार्च, 2016

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास अधिनियम, 1980 (क्रमांक 18 सन् 1980) की धारा 28 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वित्तीय वर्ष 2015-2016 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री –

(क) मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 12 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्न अधिसूचनाएं :-

(i) क्रमांक 2493-एफ-3-02-2011-तेरह, दिनांक 01 अप्रैल, 2016 एवं

(ii) क्रमांक एफ-03-02-2011-तेरह, दिनांक 14 जून, 2016

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(i) शहपुरा थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015, एवं

(ii) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर का त्रयोदश वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि हेतु

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की निम्न अधिसूचनाएं :-

(i) क्रमांक 894-मप्रविनिआ-2016, दिनांक 30 मई 2016, एवं

(ii) क्रमांक 900/2016, दिनांक 31 मई, 2016

पटल पर रखेंगे.

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध अधिनियम, 2013 (क्रमांक 24 सन् 2013) की धारा 33 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-18-2015-बी-ग्यारह दिनांक 11 मार्च, 2016 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री सूर्यप्रकाश मीना, राज्यमंत्री उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार एम.पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 45 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2013-2014 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री जयवर्धन सिंह, रामनिवास रावत, सदस्य, प्रदेश में कृषकों से प्याज खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री दिलीप सिंह परिहार, महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, अशोक रोहाणी, सदस्य, नीमच एवं जबलपुर के केंन्टोनमेंट क्षेत्रों में शासन की योजनाओं का लाभ न मिलने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का इक्यानवेवां से एक सौ एक वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री अंचल सोनकर, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां एवं चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य, सिंगरौली जिले के -

(क) ग्राम पिडरिया में आदिवासी प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास खोले जाने, तथा

(ख) ग्राम सकरिया के शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(2) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य,

(क) भोपाल शहर के वार्ड नं. 30 कोलार, भोपाल चिनार वुडलैंड सोसायटी में बांस के पेड़ की छटाई/कटाई किये जाने, तथा

(ख) छतरपुर जिले के ग्राम गोविन्दपुर में लाइट लगवाये जाने,

(3) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य, मुरैना जिले के

(क) ग्राम कचनौधा भकरौली के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने, तथा

(ख) विधान सभा क्षेत्र दिमनी में आई.टी.आई. खोले जाने,

(4) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य, धार जिले के ग्राम सिदड़ी से ग्राम सुराणी तक सड़क बनाये जाने,
(5) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य, दतिया जिले के ग्राम कुदारी से इंटर कॉलेज तक सड़क निर्माण किये जाने,
(6) कुँवर सौरभ सिंह, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम पंचायत नैगवां से हाथीभार तक पहुँच मार्ग का निर्माण किये जाने,
(7) श्री कालु सिंह ठाकुर, सदस्य, धार जिले के माण्डव शा.उ.मा. विद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की कक्षाएं प्रारम्भ किये जाने,
(8) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य, रीवा जिले के उरमलिया टोला में नल जल योजना के तहत पाईप लाईन डाले जाने,
(9) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम लखनपुर में शा. हाई स्कूल की स्थापना किये जाने,
(10) डॉ. मोहन यादव, सदस्य, उज्जैन जिले में सिंहस्थ के नाम पर किसानों की जमीन अधिग्रहण किये जाने,
(11) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के मोतीनगर- धर्मश्री-तिली-पथरिया तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(12) श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम मन्दिरहवा टोला चाँद में जूनियर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने,
(13) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले में कन्या महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान कर प्रांरभ किये जाने,
(14) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर जिले के लसुडिया कांगर तालाब का नवीनीकरण एवं मरम्मत का कार्य किये जाने,
(15) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम रूरी एवं गुरीरा को मुख्यमंत्री सड़क योजना में शामिल किये जाने,
(16) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य, मुरैना जिले के-
(क) नगर पालिका क्षेत्र जौरा में रोड बनाये जाने, तथा
(ख) ग्राम सहजपुरा, उत्तमपुरा, तहसील जौरा में विद्युत सब स्टेशन स्थापित किये जाने,
(17) श्री सुशील कुमार तिवारी, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम पनागर की 263 शालाओं की बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने,
(18) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम नरौआ में डूठई नाले पर रपटा/ पुल निर्माण किये जाने,
(19) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के ग्राम पंचायत नरयावली में आई.टी.आई. खोले जाने,
(20) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य, आगर-मालवा जिले के ग्राम छोटापालड़ा से सुसनेर तक सी.सी. रोड बनाये जाने,
(21) श्री मुकेश नायक, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम कढ़ना में पानी की समस्या को दूर किये जाने,
(22) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम तेन्दुखेड़ा में प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास खोले जाने
(23) श्री रजनीश सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम डुंलखेड़ा से ग्राम छुई तक प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़े जाने,
(24) श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य, नीमच जिले के ग्राम मांगरोल में पुलिया निर्माण किये जाने,
(25) श्री विजय सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम सिखेल के आदिवासी क्षेत्र को हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
(26) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, मन्दसौर जिले के शा. बालक उ.मा. विद्यालय में प्रयोगशाला का निर्माण किये जाने,
(27) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम गणेशधाम शासकीय तालाब की कच्ची बाउन्ड्रीवाल हटाये जाने,
(28) श्री महेश राय, सदस्य, बीना जिले के ग्राम जुगपुरा के किसानों की कृषि भूमि का रिकॉर्ड राजस्व में दर्ज कर कृषि ऋण सुविधा दिये जाने,
(29) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम लवरास की सड़क के बाजू में नाले पर पक्की दीवार बनाये जाने,
(30) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले में इंदिरा सागर योजना की नहर से सिंचाई हेतु योजना बनाकर किसानों को लाभान्वित किये जाने,
(31) श्री दीवान सिंह पटेल, सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम राखी बु. की सुसरी नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
(32) श्रीमती ममता मीना, सदस्य, गुना जिले के ग्राम करोदीपुरा से बुढ़ना तक सड़क निर्माण किये जाने,
(33) श्री हर्ष यादव, सदस्य, सागर जिले के ग्राम पंचायत चौराडोगरी से नेगुवां तक सड़क निर्माण की स्वीकृति दिये जाने,
(34) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम पंचायत रानी पिडरई से गरकटा को जोड़ने हेतु कच्ची सड़क बनाये जाने,
(35) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम नांदनेर से ग्राम ज्वारा के पास सांईखेड़ा तक सड़क बनाये जाने,
(36) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम बैरसिया के शा.हाई स्कूल का हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
(37) श्री पन्नालाल शाक्य, सदस्य, गुना जिले के श्री दीवान सिंह के मकान से राघौगढ़ रोड तक सी.सी. / खरंजा रोड बनाये जाने,
(38) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के गोरस – धोबिनी मार्ग का नवीनीकरण एवं दोहरीकरण कार्य किये जाने,
(39) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम गंज, भदेसर में सीमेन्ट कांक्रीट रोड स्वीकृत किये जाने,
(40) श्री दिनेश राय ''मुनमुन'', सदस्य, सिवनी जिले में माडल रोड की पुन: जांच कराकर सुधार किये जाने,
(41) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य, हरदा जिले की पनाली नदी एवं सुकमा नदी पर पुल बनाये जाने,
(42) श्री संजय उइके, सदस्य, बालाघाट जिले के वनग्राम झुराटोला से होते हुए सोनटोला तक सड़क का निर्माण किये जाने,
(43) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़ नगर में क्षतिग्रस्त पंकजपुल का निर्माण किये जाने,
(44) श्री लखन पटेल, सदस्य, दमोह जिले के ग्राम केरवना के हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन की अधूरी पड़ी बिल्डिंग को शीघ्र पूर्ण किये जाने,
(45) श्री संदीप जायसवाल, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम कन्हवारा में महाविद्यालय प्रारम्भ किये जाने,
(46) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम खैरी ओछा के समीप ग्राम पिपरिया तक मार्ग निर्माण किये जाने,
(47) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य, भोपाल के वार्ड क्र. 48 बसंतकुंज में डामरीकृत सड़क की मरम्मत किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. संविहित संकल्प

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

(क) "यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 6 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश विधान मण्डल यात्रा भत्ता नियम, 1957 में किए गए संशोधन का, जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1524-एफ (3) 20-10-दो-अड़तालीस, दिनांक 05 जुलाई, 2016 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 276, दिनांक 05 जुलाई, 2016 में प्रकाशित किये गये हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनुमोदन करता हैं.".

(ख) "यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम, 1978 में किए गए संशोधन का, जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1528-फा (2) 13-2016-दो-अड़तालीस, दिनांक 05 जुलाई, 2016 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 277, दिनांक 05 जुलाई, 2016 में प्रकाशित किये गये हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनुमोदन करता है.". एवं

(ग) "यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम, 1996 में किए गए संशोधन का, जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1526-फा (2) 14-2016-दो-अड़तालीस, दिनांक 05 जुलाई, 2016 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 278, दिनांक 05 जुलाई, 2016 में प्रकाशित किये गये हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनुमोदन करता है. ".

निर्धारित समय

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री विश्वास सारंग, राज्यमंत्री सहकारिता, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 18 सन् 2016) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन
30 मिनट विधेयक, 2016 (क्रमांक 13 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(3) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन
30 मिनट विधेयक, 2016 (क्रमांक 14 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

(4) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन)
30 मिनट विधेयक, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) पर विचार किया जाए.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

हाल ही में प्रदेश के अनेक जिलों में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 25 जुलाई, 2016